न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/12/2024	2024/78	29.08.2024	15.01.2025

1. बलराम पुत्र मंगूराम जाति मीना,
2. कैलाश चन्द पुत्र मंगूराम जाति मीना निवासीयान ग्राम धनखेडा तह0 रामगढ जिला अलवर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. भू आवंटन सलाहकार समिति, रामगढ जरिये उपखण्ड अधिकारी, रामगढ जिला अलवर राज०।
2. गजानन्द पुत्र रामेश्वर जाति नाई निवासी जातपुर तह0 रामगढ जिला अलवर।

–असल अप्रार्थीगण

3. देवीराम पुत्र मंगूराम जाति मीना निवासीयान ग्राम धनखेडा तह0 रामगढ जिला अलवर।

–तरतीवी अप्रार्थी

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4) भू–आवंटन नियम, 1970 विरूद्ध आदेश दिनांक 22.05.1989

उपस्थितः–
01–श्री लक्ष्मण सिंह पोसवाल –वकील प्रार्थीगण
02–श्री दीपक मीणा –राजकीय अभिभाषक

–:निर्णयः–

वकील प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–14 (4) उपखण्ड अधिकारी रामगढ भूमि आवंटन आदेश दिनांक 22.05.1989 जिसके द्वारा अप्रार्थी सं0 1 द्वारा अप्रार्थी सं0 2 गजानन्द पुत्र रामेश्वर के पक्ष में आ0ख0नं0 112 रकबा 06 बीघा 01 बिस्वा ग्राम धनखेडा तह0 रामगढ की हाल ख0नं0 178 रकबा 1.53 है0 भूमि का आंवटन अप्रार्थी सं0 2 के पक्ष में किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र 14(4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आराजी खसरा नंबर साबिक 112 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा जिसके हाल नंबर 178 रकबा 1.53 है. बने है वाके ग्राम धनखेडा तहसील रामगढ में स्थित है उक्त आराजी पर प्रार्थीगण व तरतीवी व अप्रार्थी सख्या 3 का कदीमी से अपने बुजुर्गो के समय से ही यानि सैकडो सालो से कब्जा बदस्तूर चला आ रहा है जब तक प्रार्थीगण व तर० अप्रार्थी के बुजुर्ग जीवित रहे तब तक वो काबिज रह कर काश्त करते रहे और उनके स्वर्गवास के बाद प्रार्थीगण व तर० अप्रार्थी काबिज रह कर काश्त करते चले आ रहे है। आज भी विवादित आराजी खसरा नंबर 178 रकबा 1.53 है. में एक पक्का कमरा उपर टीनशेड डाला हुआ है बना रखा है जिसमें तरफ उत्तर को पूर्व से पश्चिम तार लगा लगा रखे है जिस कमरे में प्रार्थीगण व तर० अप्राथी अपनी फसल की रखवाली के लिए रहते है आज भी विवादित आराजी में प्रार्थीगण व तर०अप्रार्थी की बोई हुई बाजरा की फसल खडी हुई है अप्रार्थी संख्या 2 गजानंद पुत्र रामेश्वर जाति नाई नाम का कोई व्यक्ति जब गांव में ही नही है न कभी रहा है तो उसके द्वारा विवादित आराजी पर काबिज रह कर काश्त करने का सवाल ही पैदा नही होता है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी सं० 1 भू आवंटन सलाहकार समिति का आलोच्य आदेश निरस्त होने योग्य

...र (प्रथम)
अलवर (राज0)

है जो निरस्त फरमाया जावे। दिनांक 30–6–24 को 2 अनजान व्यक्ति विवादित आराजी पर आये और प्रार्थीगण से कहा कि यह आराजी हमारे मिलने वाले को आवंटन हुई है इसलिये आप इस पर से अपना कब्जा हटा लेवे वरना हम जबरदस्ती आपको बेदखल करेगे जिस पर प्रार्थीगण ने तहसीलदार रामगढ के कार्यालय में आवंटन के बारे में जानकारी करवाई तो आवंटन की फाइल कार्यालय में नहीं मिली इसके बाद श्रीमान जिला कलक्टर डिस्ट्रीक रिकार्ड में तलाश करवाया उसके बाद पत्रावली मिली जिसकी नकल के लिए दिनांक 30–7–24 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जहां से दिनाक 31–7–24 को नकलप्राप्त हुई तथा नकल प्राप्त होने पर प्रार्थीगण ने अपने वकील साहब से सम्पर्क कर नकले दिखाई तो वकील साहब ने कहा कि उक्त आवंटन को निरस्त कराने की कार्यवाही करनी पडेगी जिस पर प्रार्थीगण ने खर्चे का इंतजाम किया ततपश्चात वकील साहब ने प्रार्थना पत्र तैयार करवाया जो आज बिना देरी के अदालत श्रीमान में पेश है। विवादित आराजी का आवंटन अप्रार्थी सं० 2 गजानंद के नाम आवंटन कार्यवाही में अंकित किया गया है जबकि गजांनद नाम का कोई व्यक्ति ग्राम जातपुर में नही थाना है, तो फिर भू आवटन सलाहकार समिति के द्वारा आवंटन स्पष्टतया फर्जी आवंटन की संज्ञा में आता है, जो कि विधि विरूद्ध व नियम विरूद्ध है। कथित आवंटन के बाद राजस्व रिकार्ड में जो नाम का अंकन पटवारी हल्का द्वारा किया गया है वह गजानन्द पुत्र रामेश्वर नाई के नाम किया गया है गजानन्द नाम का व्यक्ति भी गांव जातपुर मे नही था ओर ना है। जब उक्त नाम का कोई व्यक्ति (आवंटी) ग्राम में है ही नही तो फिर आवंटन कमेटी द्वारा उसे दखल दिया जाना संभव ही नही है और अप्रार्थी सं० 2 गजानन्द आवंटी के नाम राजस्व रेकार्ड में गैर खातेदार या फिर खातेदारी का अंकन किस तरह आ गया। यह समस्त कार्यवाही राजस्व कर्मचारियो के द्वारा घोर लापरवाही, अनियमितता एवं मौके कब्जे के खिलाफ विधि व प्रक्रिया के खिलाफ की गई है। जब उक्त गजानन्द नाम का आवंटी/व्यक्ति गांव में ही नहीं रहता था, और न है तो आवंटन कमेटी ने किस तरह से गजानन्द के नाम का आवंटन आवंटन कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज किया है, ये समस्त कार्यवाही स्पष्ट रूप से फर्जी बनावटी, अनियमित होने के कारण तथा मौका कब्जा के खिलाफ होने कारण अलोच्य आवंटन निरस्त होन योग्य है। उपरोक्त आराजी हाल खसरा नंबर 178 रकबा 1.53 है. वाके ग्राम धनखेडा तहसील अलवर जिला अलवर पर आवंटी गजानन्द पुत्र रामेश्वर नाई अप्रार्थी संख्या 2 नाम का कोई व्यक्ति गांव में नही रहा ना आज है। ऐसी स्थिति में आवंटन के बाद उसको कब्जा या दखल दिया जाना संभव ही नही था। ऐसी स्थिति में आवंटन नियमो के अनुसार आवंटी द्वारा आवंटित आराजी को काश्त नही की गई है, जिस अवस्था में भू आवंटन सलाहकार समितिका आलोच्य आदेश निरस्त होने योग्य है, जो निरस्त किया जावे। आज्ञा भू आवंटन सलाहकार समिति दिनांक 22–05–1989 विधिक, न्यायिक प्रक्रिया के एवं विधि एवं तथ्यो तथा मौका व कब्जा के भी खिलाफ होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। आवंटन कमेटी ने उक्त आराजी का आवंटन करने से पूर्व सर्वसाधारण की सूचनार्थ कोई नोटिस जारी नही किया, ना ही मौके पर जाकर आराजी की वस्तुस्थिति के बारे में कोई जानकारी ली अपितु मनमाने व फर्जी तथा कूटरचित तरीके से नियम विरूद्ध आवटन की आज्ञा पारित की गई है तथा आवंटन के समय आराजी मुतनाजा खाली नही थी और कानूनन ऐसी आराजी का आवंटन नही किया जा सकता था । ऐसी स्थिति में भी आवंटन कमेटी की आज्ञा निरस्त होने योग्य है, जो निरस्त फरमाया जावे। राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 नियम 14 (3) के अनुसार आवंटी को आवंटन के प्रथम वर्ष में भूमि के कम से कम 50 प्रतिशत भाग को और बाकी भाग को दूसरे साल में काश्त करना आवश्यक होता है, जिस शर्त का आवंटी द्वारा पालना करना आवश्यक होता है। यदि ऐसा नही किया जाता है तो वह आवंटन निरस्त होने योग्य होता है। यहां तो आवंटी गजानन्द पुत्र रामेश्वर नाई नाम का कोई व्यक्ति गांव में था ही नही तो फिर उसके द्वारा उक्त शर्तों का पालन किया जाना संभव ही नही हो सकता है। इसलिये भू आवंटन नियम 14 (3) के अनुपालन में भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित किया गया अप्रार्थी सं० 2 गजानन्द के नाम का आवंटन दिनाक 22–5–89 निरस्त होने योग्य

अ. रक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज.)

है जो निरस्त फरमाया जावे। आवंटन अधिकारी ने सन 1970 के आवंटन नियम 8, 9, 10,11, की भी पालना नही की है, जो कि आवश्यक व अनिवार्य होता है। ऐसी स्थिति में भी उक्त आवंटन निरस्त होने योग्य है, जो निरस्त फरमाया जावे। आवंटन कमेटी ने कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 05 की भी पालना नही की है, जिसके अंतर्गत तहसीलदार प्रत्येक साल 30 सितंबर तक अनाधिकृत सरकारी भूमि मेंसिंचित व असिंचित दोनो सूची प्रपत्र में तैयासर करेगा और एसडीओ को प्रस्तुत करेगा जो पंचायत समिति एवं तहसील कायालय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी, ऐसा आवंटन कमेटी द्वारा नहीं किया गया ह। इस कारण भी आवंटन कमेटी की आज्ञा विधि विरुद्ध है और निरस्त किए जाने योग्य है। आवंटन कमेटी ने 1970 के नियम 7 के अनुसार आवंटन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुये उदघोषणा जारी नही की। इसलिये भी आवंटन कमेटी की आज्ञा काबिल निरस्तनीय है। आवंटन कमेटी द्वारा आंवटन नियम 1970 के नियम 7 (2) की पालना भी नही की है। उद्घोषणा के 2 सप्ताह की कालवधि या जनहित में जब भी किसी विशेष क्षेत्र के लिए जारी की जायेगी जो खसरा नंबरान का आवंटन किया जाना है उसका उपखण्ड अधिकारी के सूचना पटट पर लगाया जावेगा तथा किसी लोक समागम के स्थान पर भी उद्घोषणा चिपकाने की तारीख से गणना की जावेगी। किन्तु इसकी पालना आवंटन कमेटी द्वारा नहीं की गई है। विवादित आराजी पर प्राथीगण व तर०अप्रार्थी का कब्जा बुजुर्गों के समय से कदीमी से यानि सैकडो सालो से चला आ रहा है वक्त आवंटन दिनांक 22–5–89 को प्रार्थीगण व तर०अप्रार्थी का कब्जा काश्त था। आवंटन सलाहकार समिति को प्रार्थीगण व तर० अप्रार्थी का पुराना कब्जा मानते हुये प्राथीगण व तर. अप्रार्थी, जो भूमिहीन है और अनुसूचित जन जाति के होने के कारण प्रार्थीगण व तर० अप्रार्थी के हक में आवंटन/नियमन करना चाहिये था लेकिन आवंटन सलाहकार समिति ने गौर नही किया जो काबिल गोर अदालत श्रीमान है। उक्त आधार पर आवंटन आज्ञा दिनांक 22–05–89 निरस्त होने तथा प्रार्थीगण व तर० अप्राथी के हक में आवंटन/विनियमन किए जाने योग्य है। तर० अप्रार्थी का भी विवादित आराजी पर प्रार्थीगण के साथ संयुक्त रूप से कब्जा है इसलिये उसका भी विवादित आराजी में हित निहित है जो भी आवश्यक पक्षकार है चूँकि वह आवश्यक कार्य से बाहर जाने के कारण प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण के साथ शामिल नही है इसलिये उसे तर० अप्रार्थी पक्षकार बनाया है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आलोच्य आदेश भू आवंटन सलाहकार समिति रामगढ़, जर्ये उपखण्ड अधिकारी रामगढ दि० 22–05–89 जिसके द्वारा अप्रार्थी सं० 1 द्वारा अप्रार्थी सं० 2 को आराजी साबिक खसरा नंबर 112 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा जिसके हाल नंबर 178 रकबा 1.53 है. बने है वाके ग्राम धनखेडा तहसील रामगढ जिला अलवर का आवंटन किया गया है वह आवंटन आदेश निरस्त फरमाया जावे व प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी के हक में आराजी खसरा नंबर हाल 178 रकबा 1.53 है. वाके धनखेडा तहसील रामगढ जिला अलवर को प्रार्थीगण व तर. अप्रार्थी का कदीमी कब्जा होने के कारण प्रार्थीगण व तर.० अप्रार्थी को विनियमन/आवंटन किए जाने की आज्ञा सादिर फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकुलाय की बहस पर चिन्तन–मनन किया। वकील प्रार्थी के अनुसार रेस्पो0 सं0 2 गजानंद पुत्र रामेश्वर जाति नाई नाम को कोई व्यक्ति ग्राम जातपुर तह0 रामगढ में नहीं रहता है, ना कभी रहा है। न्यायालय हाजा द्वारा भी रेस्पो0 सं0 2 की तलबी हेतु रजि0 तलबाना एवं अखबार साया हेतु नोटिस जारी किए गए, किन्तु रेस्पो0 सं0 2 आज दिनांक तक न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हुआ है। आवंटन नियमों के अनुसार आवंटी द्वारा आवंटित आराजी को आज दिनांक तक काश्त नहीं किया गया है। जबकि राज0 भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि नियम 1970) नियम 14(3) के अनुसार आवंटी को आवंटन के प्रथम वर्ष में भूमि के 50 प्रतिशत भाग को और बाकी भाग को दूसरे साल में काश्त करना आवश्यक होता है। शर्तानुसार आवंटी द्वारा आज दिनांक तक आवंटित भूमि को कब्जा काश्त नहीं किया गया है। प्रार्थीगण एवं तर0 अप्रार्थी सं0 3 के द्वारा बुजुर्गान के समय से ही उक्त विवादित आराजी पर कब्जा काश्त किया जा रहा है। पत्रावली के अवलोकन एवं न्यायालय हाजा द्वारा जारी नोटिस एवं अखबार साया के बावजूद अप्रार्थी सं0 2 न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट जाहिर है कि गजानंद पुत्र रामेश्वर जाति नाई नाम का कोई व्यक्ति ग्राम जातपुर तह0 रामगढ में नहीं रहता है। आवंटन अधिकारी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर

द्वारा आवंटन के समय आवंटन के नियमों की पालना नहीं की गई है ना ही मौके की कोई जांच की गई है। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.05.1989 निरस्त किये जाने योग्य पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.05.1989 बावत् साबिक ख0नं0 112 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 178 रकबा 1.53 है0 वाके ग्राम धनखेड़ा तहसील रामगढ़, को निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि आ0ख0नं0 178 रकबा 1.53 है0 वाके धनखेडा तह0 रामगढ जिला अलवर की पूर्व की स्थिति बहाल कर आराजी को सिवायचक दर्ज करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)